रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2280] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 21, 2018/ ज्येष्ठ 31, 1940
No. 2280] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 21, 2018/JYAISTHA 31, 1940

पोत परिवहन मंत्रालय

(पी.एच.आर.डी. प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2018

का.आ. 3017(अ).—लोक परिसर (अनधिकृत कब्जों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 की अधिनियम सं. 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद् द्वारा नीचे दी गई तालिका के कालम (1) में उल्लिखित दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों की नियुक्ति उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपदा अधिकारी के रूप में करती है तथा उक्त अधिकारी उक्त तालिका के कॉलम (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट लोक परिसरों से संबंधित अपने संबद्ध कार्यक्षेत्र की स्थानीय सीमा के अंदर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा "संपदा अधिकारी" को सौंपे गए कर्त्तव्यों का निष्पादन करेंगे।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कार्यक्षेत्र की सीमा	कार्यकाल
1.	श्री सुरेश बालन, वरिष्ठ उप सचिव	कंडला भूमि संबंधी मामले	तीन वर्षों की अवधि हेतु अथवा जब तक वह सेवारत हों, जो भी पहले हो।
2.	श्री एन.एम. परमार, अधीक्षक अभियंता	कंडला भूमि संबंधी मामले	-वही-
3.	श्री वी. रविंद्र रेड्डी, अधीक्षक अभियंता	गांधीधाम भूमि संबंधी मामले	-वही-

2. उक्त नियुक्तियां सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगी।

[फा. सं. ए-12011/2/2018-पी.ई.-II]

सतिन्दर पाल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2018

S.O. 3017(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (Act No. 40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in the column (1) of the Table below, being officers of the Deendayal Port Trust, to be Estate Officers for the purpose of said Act, and the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the "Estate Officer" by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the Public Premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table:-

S.No.	Name and Designation of Officers	Limits of Jurisdiction	Tenure
1.	Sh. Suresh Balan, Sr. Dy. Secretary	Kandla Land matters	For a period of three years or till he remains in service, whichever is earlier
2.	Sh. N.M. Parmar, Superintending Engineer	Kandla Land matters	-do-
3.	Sh. V. Raveendra Reddy, Superintending Engineer	Gandhidham Land matters	-do-

2. The said appointments shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. A-12011/2/2018-PE-II]

SATINDER PAL SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.06.26 17:49:27 +05'30'